

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: 007/36/नविचि/3/2002

जयपुर, दिनांक 19.3.2002

आदेश

=====

इस विभाग के शरिखत्र संख्या एन.6/19/नविचि/89 दिनांक 13.12.2001 के द्वारा आवाप्त शूदा भूमि के बदले 15 बुलिवात किकिस्त भूमि आवटित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिसमें एक शर्त यह भी लगायी गयी थी कि आवाप्त शूदा भूमि के बदले में दो जाने वाली भूमि किकिस्त आवासोय भूमि हो होगी, वाणिज्यिक नहीं। राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्त पर बुनीवधार करके यह निर्णय लिया गया है कि आवाप्त शूदा भूमि चाहे वाणिज्यिक/संस्थािक या औद्योगिक बुयोजनार्थ या अन्य बुयोजनार्थ आवाप्त की गई हो तथा मास्टर प्लान में उक्त क्षेत्र का कोई भी भू-उपयोग हो, संबंधित सातेदार को फ्यासनभव उसी भूमि भूमि में से 15 बुलिवात किकिस्त भूमि आवासोय उपयोग हेतु आवटित को जा सकती है। आवासोय भूमि के आवटन के शरवात आवटो वाणिज्यिक या अन्य बुयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन/संवांतरण बुचलित नियमों के श्रावधानों के अन्तर्त भू-उपयोग परिवर्तन कराने को स्वतंत्र होगा।

SH
[बा.डां.गुप्ता]
उप शासनसचिव

इतिलिखि वास्ते सूवनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, मा0मुख्यमंत्रो महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त मंत्रोगण। *नविचि*
3. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, समस्त इमूठ शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासनसचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलेक्टर-कृषया सभी भूमि अवाप्ति अधिकारियों को सूचित करे।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानाय निजाय विभाग-समस्त स्थानाय निजायों को सूचित करे।
12. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास।

SH
उप शासनसचिव